

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग-5)


क्रमांक एफ 27(74) ग्रावि/अनु-5/जीकेएन/न्यूनतम मजदूर दर/ 2014-15 जयपुर, दिनांक 04 अप्रैल, 2019

जिला कलक्टर एवं अध्यक्ष,
जिला दर निर्णायक समिति,
जिला समस्त राजस्थान।

विषय:- श्रमिकों की पुनरीक्षित न्यूनतम मजदूरी दर बीएसआर सॉफ्टवेयर में अपडेट करने के सम्बंध में ।


प्रसंग:- समसंख्यक पत्र दिनांक 21.06.2018 एवं पत्र क्रमांक एफ 1(26) ग्रावि/ नरेगा/ स.टास्क/ 2011-12/00911 दिनांक 01.04.2019 ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत बीएसआर वर्ष 2019-20 को दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी करने हेतु ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा सम्पादित की जा रही विभिन्न योजनाओं में नियोजित अकुशल श्रमिक एवं अर्द्धकुशल श्रमिक (मेट) की विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 21.06.2018 द्वारा पुनरीक्षित मजदूरी दरें एवं महात्मा गांधी नरेगा के लिए विभागीय पत्र क्रमांक एफ 1(26) ग्रावि/ नरेगा/ स.टास्क/ 2011-12/00911 दिनांक 01.04.2019 अनुसार नियोजित अकुशल श्रमिक की पुनरीक्षित मजदूरी दर को विभागीय ऑनलाईन सॉफ्टवेयर "बीएसआर साफ्ट" में Update कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।


03/04/19
(केलाश चन्द मीना)
विशिष्ट शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय उपमुख्य मंत्री महोदय, ग्रावि एवं परावि।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग।
3. निजी सचिव, शासन सचिव एवं आयुक्त पंचायती राज विभाग।
4. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा योजना।
5. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग।
6. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. अधिशाषी अभियन्ता, (अभि.) एवं सदस्य सचिव, जिला दर निर्णायक समिति, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
8. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त राजस्थान।
9. प्रोग्रामर, ग्रामीण विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।


अधीक्षण अभियन्ता ग्रावि